वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 55/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 09/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 09.09.2020 को थाना लोहता पुलिस द्वारा थाने के टॉप-10 व एचएस अपराधी गुड्डू यादव गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमन्चा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) वाराणसी व क्षेत्राधिकारी सदर वाराणसी के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान व थानाध्यक्ष लोहता के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.09.2020 को थाना लोहता पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व कोविड-19 महामारी ड्यूटी चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति वांछित अपराधी/वारंटी के दौरान मुखबिर की सूचना पर गुड्डू यादव पुत्र कमला यादव निवासी लोहरापुर थाना लोहता जनपद वाराणसी को कोरउत पुल से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना लोहता पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 209/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- गुड्डू यादव पुत्र कमला यादव निवासी लोहरापुर थाना लोहता जनपद वाराणसी उम्र करीब 24 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर
- एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0209/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लोहता वाराणसी।
2. मु0अ0सं0 211/19 धारा 392/411 आईपीसी थाना लोहता वाराणसी।
3. मु0अ0स0 215/19 धारा 307/34 आईपीसी थाना लोहता वाराणसी।
4. मु0अ0स0 217/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लोहता वाराणसी।

5. मु0अ0स0 52/19 धारा 307 आईपीसी थाना लोहता वाराणसी।
6. मु0अ0स0 262/19 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेंस्टर एक्ट थाना लोहता वाराणसी।

<u>*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-*</u>

- उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह, हे0का0 लालबहादुर राम, का0 कुलदीप शर्मा व का0 आदित्य कुमार थाना लोहता वाराणसी।

(पी0आर0सेल)
जनपद वाराणसी

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 56/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 09/2020

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के कुशल निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी चेतगंज के निकट पर्यवेक्षण में जनपद वाराणसी में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने के उद्देश्य से आपराधिक घटनाओं में अभियुक्तों द्वारा अवैध शस्त्रों के प्रयोग की रोकथाम के लिए चल रहे अभियान के क्रम में दिनांक 08.09.2020 को थाना सिगरा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुस्लिम इण्टर कालेज के पास से इस्लाम सैयद उर्फ चूहा पुत्र सैयद महमूद निवासी म0नं0 सी0 19/24 लल्लापुरा (मुस्लिम इण्टर कालेज के पास) थाना सिगरा वाराणसी को समय करीब 23.20 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अदद नाजायज तमन्चा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 396/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- इस्लाम सैयद उर्फ चूहा पुत्र सैयद महमूद निवासी म0नं0 सी0 19/24 लल्लापुरा (मुस्लिम इण्टर कालेज के पास) थाना सिगरा वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

- एक अदद नाजायज तमन्चा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 645/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिगरा वाराणसी।
2. मु0अ0सं0 185/15 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना सिगरा वाराणसी।
3. मु0अ0सं0 133/19 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना चेतगंज वाराणसी।
4. मु0अ0सं0 1201/17 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना जीआरपी कैण्ट वाराणसी।
5. मु0अ0सं0 396/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिगरा वाराणसी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 विजय प्रकाश यादव चौकी प्रभारी लल्लापुरा, का0 ज्ञानेन्द्र कुमार यादव व का0 राकेश कुमार थाना सिगरा वाराणसी।

(पी0आर0सेल)
जनपद वाराणसी

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 57/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 09/2020

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के कुशल निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी चेतगंज के निकट पर्यवेक्षण में जनपद वाराणसी में अपराध एवं अपराधियो पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने के उद्देश्य से अपराधिक घटनाओं में अभियुक्तों द्वारा अवैध शस्त्रों के प्रयोग की रोकथाम के लिए चल रहे अभियान के क्रम में दिनांक 08.09.2020 को थाना सिगरा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर जवाहर नगर तिराहा पर स्थित कमलापति त्रिपाठी के मूर्ति का सामने से सोनू सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी ए 34/16-डी-1 के तेलियाना फाटक थाना आदमपुर वाराणसी को समय करीब 23.50 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अदद नाजायज देशी कट्टा 12 बोर व एक अदद कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 397/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- सोनू सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी ए 34/16-डी-1 के तेलियाना फाटक थाना आदमपुर वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

- एक अदद नाजायज देशी कट्टा 12 बोर व एक अदद कारतूस 12 बोर।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 94/11 धारा 307 भादवि थाना चेतगंज वाराणसी।
2. मु0अ0सं0 95/11 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चेतगंज वाराणसी।
3. मु0अ0सं0 43/12 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना चेतगंज वाराणसी।
4. मु0अ0सं0 132/12 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम थाना चेतगंज वाराणसी।
5. मु0अ0सं0 200/12 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चेतगंज वाराणसी।
6. मु0अ0सं0 201/12 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना चेतगंज वाराणसी।
7. मु0अ0सं0 123/16 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना चेतगंज वाराणसी।
8. मु0अ0सं0 78/17 धारा 147/149/323/427/452/504/506 भादवि थाना चेतगंज वाराणसी।
9. मु0अ0सं0 03/17 धारा 323/504/506 भादवि थाना चेतगंज वाराणसी।
10. मु0अ0सं0 397/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिगरा वाराणसी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 अनुज कुमार तिवारी चौकी प्रभारी काशी विद्यापीठ, उ0नि0 विनय कुमार यादव, हे0का0 अजय सिंह व का0 यशवन्त भारती थाना सिगरा वाराणसी।

(पी0आर0सेल)
जनपद वाराणसी

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 58/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 09/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक- 09.09.2020 को थाना चोलापुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर कमलेश कुमार पुत्र खदेरू राम निवासी चन्दापुर थाना चोलापुर वाराणसी को चन्दापुर तिराहे से गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक अदद अवैध तमन्चा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना चोलापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 351/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- कमलेश कुमार पुत्र खदेरू राम निवासी चन्दापुर थाना चोलापुर वाराणसी उम्र लगभग 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- एक अदद अवैध तमन्चा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 कमलभूषण राय, उ0नि0 प्रमोद मिश्रा, मु0आ0 रामप्रताप सिंह, मु0आ0 कैलाश सिंह व मु0आ0 कृष्ण मेनन सिंह थाना चोलापुर वाराणसी।

(पी0आर0सेल)
जनपद वाराणसी

थाना क्षेत्र मानचित्र
चोलापुर - वाराणसी
जनपद गाजीपुर

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 59/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 09/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 08.09.2020 को थाना चोलापुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 347/2020 धारा 379/411 भादवि से सम्मबन्धित अभियुक्त मनोज कुमार उम्र लगभग 42 वर्ष पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी पुराना पुल थाना सारनाथ वाराणसी को वहद ग्राम महगांव से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी के रू0 6000/- बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना चोलापुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- मनोज कुमार उम्र लगभग 42 वर्ष पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी पुराना पुल थाना सारनाथ वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी के रू0 6000/-

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 धर्मेन्द्र मिश्रा, मु0आ0 हरिश्चन्द्र व मु0आ0 अनिल राय थाना चोलापुर वाराणसी।

(पी0आर0सेल)
जनपद वाराणसी

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 59/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 09/2020

प्रेस नोट

दिनांक 09.09.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं जनपद में कानून/शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों पर पंजीकृत चोरी/लूट/हत्या/पशु तस्करी के मुकदमों में वांछित सक्रिय अपराधियों की निगरानी हेतु हिस्ट्रीशीट की कार्यवाही की गयी है, जिनका विवरण निम्नवत है-

1. नागेन्द्र कुमार यादव पुत्र स्व0 नन्दलाल यादव निवासी कोषड़ा चक्रपानपुर थाना मिर्जामुराद वाराणसी उम्र 31 वर्ष।
2. धीरेन्द्र कुमार यादव उर्फ शेरू यादव पुत्र स्व0 नन्दलाल यादव निवासी कोषड़ा चक्रपानपुर थाना मिर्जामुराद वाराणसी उम्र 23 वर्ष।
3. विकास मोदनवाल पुत्र मन्नालाल मोदनवाल निवासी ग्राम ठठरा (कछवां रोड) थाना मिर्जामुराद वाराणसी उम्र-23 वर्ष।
4. राजेन्द्र उपाध्याय पुत्र स्व0 राधेश्याम उपाध्याय निवासी जी-4/213 ए सरायगोवर्धन थाना चेतगंज वाराणसी।

(पी0आर0सेल)
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 60/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 09/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 09.09.2020 को थाना रोहनियां पुलिस द्वारा जिला बदर अपराधी संतोष कुमार पटेल गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद वाराणसी द्वारा चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन व व्यक्तियों की चेकिंग तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी सदर के दिशा निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक रोहनियां के नेतृत्व में उस समय महत्वपूर्ण सफलता मिली जब जिला बदर अपराधी संतोष कुमार पटेल उर्फ पप्पू पुत्र बाबूलाल पटेल निवासी ग्राम दीपापुर थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 09/09/2020 को थाना रोहनियां पुलिस विनावर तलाश वांछित अपराधी में मामूर थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम दीपापुर का गुण्डा एक्ट में जिला बदर अपराधी संतोष कुमार पटेल जिसको जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है, वो अपने घर पर ही मौजूद है । यदि जल्दी करें तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके थाना रोहनियां पुलिस मय मुखबिर के ग्राम दीपापुर पहुँची तो मुखबिर ने दूर से ही इशारा करके बताया। थाना रोहनियां पुलिस द्वारा घर के बाहर बैठे व्यक्ति को पकड़कर नाम-पता पूछा गया तो पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम संतोष कुमार पटेल उर्फ पप्पू पुत्र बाबू लाल पटेल निवासी दीपापुर थाना रोहनियां, जनपद वाराणसी बताया और यह भी बताया कि मुझें दिनांक 28/8/2020 को जिलाधिकारी द्वारा गुण्डा एक्ट के तहत 6 माह के लिए जनपद वाराणसी की सीमा से जिला बदर किया गया है लेकिन मैं आदेश का पालन नहीं कर रहा था तभी आप लोगों ने पकड़ लिया। उक्त आदेश का अवलोकन किया गया तो ज्ञात हुआ कि वाद संख्या 05766/2019 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या-020191970005766 सरकार संतोष कुमार पटेल उर्फ पप्पू वर्मा अन्तर्गत धारा 3(3) अधि0 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अंतर्गत दिनांक 28/8/2020 को जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी द्वारा 06 माह के लिए वाराणसी जिले से जिला बदर किया गया है। उक्त

नोटिस संतोष कुमार पटेल उर्फ पप्पू वर्मा को दिनांक 5/9/2020 को तामील कराई जा चुकी है। लेकिन उक्त आदेश का पालन न करके अपने घर में रह रहा था जो उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0 1970 की धारा 10 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रोहनियां पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-*</u>

- संतोष कुमार पटेल उर्फ पप्पू पुत्र बाबूलाल पटेल निवासी ग्राम दीपापुर थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी उम्र 22 वर्ष।

<u>*गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-*</u>

- एसएचओ परशुराम त्रिपाठी, उ0नि0 संतोष कुमार यादव, उ0नि0 ओम प्रकाश यादव, का0 रामध्यान व का0 प्रफुल्ल यादव थाना रोहनियां वाराणसी।

(पी0आर0सेल)
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 61/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 09/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में लॉकडाऊन के आदेश के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरुरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व लॉकडाउन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 09-09-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 64 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *135 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1608 वाहनों का चालान, 01 वाहन सीज तथा 487 वाहनों से रु0-3,96,500/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में लॉकडाऊन के आदेश के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 09-09-2020 को जनपद वाराणसी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरूद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1263 व्यक्तियों से रु0-68,850/- जुर्माना* जमा कराया गया।

(पी0आर0सेल)
जनपद वाराणसी